<u>जनपद कन्नौज के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को मास सितम्वर 2004 से संचालित पका पकाया (कुक्ड़ मील) मध्यान्ह भोजन दिये जाने का क्रियान्वयन।</u>

1. खाद्यान्न :—

जनपद कन्नौज के 997 परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत 80 प्रतिशत उपस्थिति बाले छात्र छात्राओं के लिए पका पकाया भोजन दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है यह व्यवस्था सितम्वर 2004 से संचालित की गयी थी। वर्तमान में मध्यान्ह भोजन योजनार्न्तगत जनपद के 1,77,305 छात्र छात्रायें लाभान्वित हो रहे हैं। इस योजना में जनपद में जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी कन्नौज द्वारा ग्राम पंचायतों को पका पकाया भोजन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिमास 2,192.04 कु0 चावल तथा 1096.02 कु0 गेहूँ उठान कराकर कोटेदारों के माध्यम से ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराया जाता है। प्रति छात्र प्रति दिन 100 ग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। खाद्यान्न उठान कराते समय निम्नॉकित बातों का ध्यान रखा जाता है।

1. मध्यान्ह भोजन योजनार्न्तगत उपलब्ध कराया जा रहे खाद्यान्न चावल/गेहूँ आदि
   को गोदाम से उठाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाता है कि खाद्यान्न सड़ा—गला या खराब न हो।
2. खाद्यान्न एवं अन्य सामग्री को ले जाने वाले सामान जैसे बोरा, बाहन, बर्तन,थैला आदि साफ सुथरें हों।
3. खाद्यान्न को रखने हेतु स्टोर स्वच्छ व सुरक्षित हो तथा खाद्यान्न को कीटाणुओं से बचाने हेतु आवश्यक उपाय किये जाते हैं।
4. खाना पकाने से पूर्व खाद्यान्न को अच्छी तरह से साफ कर के प्रयोग में लाया जाये।

2. परिवर्तन लागत :—

प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को गर्म पका पकाया मध्यान्ह भोजन उपलब्ध कराने के लिए प्रति छात्र 2/—प्रति दिवस की दर से परिवर्तन लागत के रुप में ग्राम पंचायतों को धनराशि शासन द्वारा उपलब्ध करायी जाती है।

3. भोजन पकाने हेतु रसोईयॉ की व्यवस्था :—

प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को गर्म पका पकाया मध्यान्ह भोजन उपलब्ध कराने के लिए 200 छात्रों तक एक रसोईये की व्यवस्था की जाती है। 200 छात्रों से अधिक संख्या होने की स्थिति में 2 रसोईयों की ग्राम पंचायत द्वारा की जा सकती है। रसोईये को मानदेय के रुप में 40 पैसे प्रति छात्र के रुप में ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान किया जाता है।

4. भोजन बनाने हेतु बर्तनों की व्यवस्था :—

प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को गर्म पका पकाया मध्यान्ह भोजन उपलब्ध कराने के लिए प्रति विद्यालय 5,000/— की दर से आवश्यकतानुसार किचेनशेड कम स्टोर में प्रयोग में आने वाले उपकरण, बर्तन आदि को क्रय करने के लिए शासन द्वारा धनराशि उपलब्ध करायी गयी है तथा नये किचेनशेड़ कम स्टोर के आवश्यकतानुसार निर्माण हेतु 60,000/— प्रति किचेनशेड़ की दर से शासन द्वारा धनराशि उपलब्ध करायी गयी है।

5. कार्यक्रम की मानीटरिंग :–

मध्यान्ह भोजन योजनार्न्तगत गर्म पका पकाया भोजन दिये जाने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत स्तर, बार्ड स्तर तथा विकास खण्ड/ जनपद स्तर निम्नॉकित समितियों द्वारा अनुश्रवण एवं समीक्षा की जाती है।

(अ) ग्राम स्तरीय समिति(ग्रामीण क्षेत्रों हेतु) :–

1. ग्राम प्रधान (अध्यक्ष)।
2. ग्राम प्रधान द्वारा मनोनीत 2 महिलायें जो अभिभावक भी हों।
3. सम्बन्धितविद्यालय के प्रधानाध्यापक।
4. 2 पुरुष अभिभावक प्रतिनिधि जो ग्राम प्रधान द्वारा मनोनीत होगे।

(ब) बार्ड स्तरीय समिति (नगरीय क्षेत्रों हेतु) :–

1. सम्बन्धित बार्ड के सभासद (अध्यक्ष)।
2. बार्ड के सभासद द्वारा मनोनीत 2 महिलायें जो अभिभावक भी हों।
3. सम्बन्धितविद्यालय के प्रधानाध्यापक।
4. 2 पुरुष अभिभावक प्रतिनिधि जो बार्ड के सभासद द्वारा मनोनीत होगे।

(ग) विकास खण्ड स्तरीय समिति :–

1. प्रमुख, क्षेत्र पंचायत (अध्यक्ष)।
2. खण्ड़ विकास अधिकारी।
3. समस्त सहायक विकास अधिकारी।
4. सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी।

(घ) जनपद स्तरीय समिति :–

1. जिलाधिकारी महोदय, (अध्यक्ष)।
2. मुख्य विकास अधिकारी।
3. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (सदस्य/सचिव)।
4. जिला विद्यालय निरीक्षक।
5. जिला समाज कल्याण अधिकारी।
6. जिला पंचायत राज अधिकारीं।
7. अधिशाषी अधिकारी, समस्त नगरपालिका परिषद/नगर पंचायत जनपद कन्नौज।
8. जिला पूर्ति अधिकारी।
9. जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी।

उक्त समितियों द्वारा समय समय पर आवश्यक बैठकें आहूत कर कार्यक्रम की

समीक्षा एंव अनुश्रवण कर ग्राम पंचायतों एवं बार्ड समितियों को आवश्यक निर्देश देकर क ार्यक्रम को सुचारु रुप से संचालित कराने की कार्यवाही की जाती है।

6. टास्कफोर्स की व्यवस्था :–

मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन द्वारा योजना के प्रभावी अनुश्रवण हेतु जिला स्तरीय तथा विकास खण्ड स्तरीय टास्क फोर्स गठित करते हुए यह निर्देश दिये गये हैं कि टास्क फोर्स के प्रत्येक अधिकारी द्वारा प्रत्येक मास 05–05 विद्यालयों का निरींक्षण किया जायेगा तथा उसकी आख्या शिक्षा निदेशक (बेसिक) एंव शासन को प्रेषित की जायेगी। जिला स्तरीय तथा विकास खण्ड़ स्तरीय टास्कफोर्स समिति निम्नवत है।

1. जिलास्तरीय टास्कफोर्स के सदस्यगण–

1.	जिलाधिकारी महोदय,	अध्यक्ष
2.	मुख्य विकास अधिकारी।	सदस्य
3.	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी।	सदस्य / सचिव
4.	जिला विद्यालय निरीक्षक।	सदस्य
5.	जिला समाज कल्याण अधिकारी।	सदस्य
6.	जिला पंचायत राज अधिकारीं।	सदस्य
7.	मुख्य चिकित्साधिकारी, कन्नौज।	सदस्य
8.	समस्त उप मुख्य चिकित्साधिकारी,कन्नौज।	सदस्य
9.	जिला पूर्ति अधिकारी।	सदस्य
10.	जिला विकास अधिकारी, कन्नौज।	सदस्य
11.	परियोजना निदेशक, डी0आर0डी0ए0 कन्नौज।	सदस्य

2. जिलास्तरीय टास्कफोर्स के सदस्यगण–

1.	उपजिलाधिकारी,	अध्यक्ष (अपने तहसील के सभी विकास खण्ड़)
2.	सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी।	सदस्य / सचिव
3.	खण्ड़ विकास अधिकारी।	सदस्य
4.	प्रभारी, चिकित्साधिकारी प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र।	सदस्य
5.	सहायक विकास अधिकारी, पंचायत।	सदस्य
6.	नायाब तहसीलदार।	सदस्य
7.	उपजिलाधिकारी द्वारानामित अन्य अधिकारी।	सदस्य
8.	पूर्ति निरीक्षक।	सदस्य

उक्त टास्क फोर्स के सदस्यगणों द्वारा प्रतिमास निर्धारित विद्यालयों के निरीक्षण की कार्यवाही कर ग्राम पंचायतों एवं बार्ड समितियों को आवश्यक निर्देश दिये जा रहें है।

7. बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण :–

बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु स्वास्थ्य विभाग के कर्मीद्वारा समय समय पर स्वास्थय परीक्षण की व्यवस्था है यदि कोई बच्चा आकस्मिक रुप से बीमार होता है तो तत्काल निकटतम स्वास्थ्य केन्द्र से चिकित्सक को आमंत्रित कर बच्चे को चिकित्सा सुविधा प्रदान कराने की व्यवस्था की जाती है।

8. भोजन परोसने की व्यवस्था :–

प्रत्येक विद्यालय में निर्धारित मीनू के अनुसार गर्म पके पकाये भोजन को बच्चों में वितरित कराने से पूर्व बच्चों के हाथों को साबुन से धुलवाने के उपरान्त ही भोजन वितरित कराया जाता है तथा जूठे पत्तल आदि को गढ़ढे मे डालने अथवा जलाने की व्यवस्था है जिससे किसी भी प्रकार की गन्दगी से बीमारी फैलने की संभावना न रहे।

9. स्वयं सेवी संस्थाओं का सहयोग :–

नगरीय क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को मध्यान्ह भोजन वितरित कराने हेतु स्वयं सेवी संस्थाओं का सहयोग लिया जा रहा है।

10. ग्राम पंचायतों को सक्रिय करने की व्यवस्था :–

मध्यान्ह भोजन सुचारु रुप से वितरित कराने हेतु ग्राम पंचायतों को सक्रिय करने के लिए जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से समय समय पर आवश्यक निर्देश प्रेषित किये जाते हैं।